न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 30/2015
दायर दिनाँक :- 09.09.2015
निर्णय दिनाँक :- 20.04.2021

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. मांगु पुरी पिता-चन्दनपुरी गुसाई निवासी- चाकुड़ी तह:- भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :- श्री सुरेशचन्द्र बापना वकील वादी
श्री पैरोकार सरकार प्रतिवादी

* निर्णय *

वकील वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का बाबत इन्द्राज दुरुस्ती का पेश किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :-

(1) यह है कि मौजा चाकुड़ी के हल्के बैरुनी में आ०न० 83/8 रकबा 02-10 बीघा स्थित है जो राजस्व रेकर्ड मे वादी के नाम दर्ज होकर वादी का कब्जा-काश्त है। यह जमीन वादी को आवंटित हुई तथा यह आ० चा० 1211/270 से पिवल होती है।

(2) यह है कि उक्त आराजी के वर्तमान नम्बर 267 व रकबा 0.43 हैक्ट० ही दर्ज है जबकि यह रकबा 54 आरी दर्ज होना चाहिए यानि रेवेन्यु रेकर्ड मे 11 आरी कम दर्ज है। सन् 1975 से आवंटन हुआ है तब से ही वादी इस जमीन पर [illegible] रहा है जिसे 30 वर्षों से अधिक का समय हो गया है और [illegible] खातेदारी से खातेदारी दर्ज की जानी चाहिए। अतः [illegible] न० 267 का रकबा 0.43 हैक्ट० की बजाय 0.54 हैक्ट० दर्ज किये [illegible] निवेदन किया।

इस पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसमे वादपत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया तथा बताया कि जमाबंदी संवत 2038-41 के खाता संख्या 158 के अनुसार चाकुड़ी की आ०न० 83/8 रकबा 02-10 बीघा मांगुपुरी पिता चन्दनपुरी गुसाई के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा न० 267 रकबा 0.43 हैक्ट० वादी के नाम दर्ज है। भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है प्रिमीयम जमा कराने के सबूत पेश होने पर ही खातेदारी दी जा सकती है। वर्तमान रेकर्ड में 0.72 हैक्ट० गैर खातेदारी से दर्ज है। वादी के द्वारा 0.54 हैक्ट० की मांग की गयी है परन्तु 0.72 हैक्ट० दर्ज रेकर्ड है तथा वादी किस-किस खसरा से रकबा चाहता है अंकित नहीं होकर मौके पर वादी का कब्जा नही है अत: वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। इस पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई-

तनकी सं० 1 :- आया वादपत्र की कॉलम संख्या-1 में वर्णित साबिक आ०न० 83/8 मुद्दे वादी को आवंटन होकर खातेदारी से दर्ज अंकित थी?

— जिम्मे वादी

तनकी सं० 2 :- आया सेटलमेन्ट के दौरान उक्त साबिक आराजी के हाल न० 267 रकबा 0.43 हैक्ट० ही खाते दर्ज हुई है जबकि साबिक रकबा के मुकाबले 0.54 हैक्ट० भूमि वादी के नाम दर्ज अंकित होनी चाहिए थी। कमी रकबा 0.11 हैक्ट० वादी अपने नाम कराने का अधिकारी है?

— जिम्मे वादी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.) 25.4.21

तनकी सं०-3 :- दादरसी?

वादी की ओर से सबूत दस्तावेज में नक्शा मौका चाकुड़ी प्रदर्श-1, खाते नकल जमाबंदी संवत 2063-63 प्रदर्श-2, साबिक नकल जमाबंदी संवत 2038-41 प्रदर्श-3, ग्राम चाकुड़ी का नक्शा संवत 2072 सन् 1956 प्रदर्श-4, मिलान खसरा की फोटो प्राति प्रदर्श-5, संवत 2060-63 आ०चा० की फोटो प्राति बिलानाम्र आदि प्रस्तुत किये। प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं हुए।

साक्ष्य वादी में गवाह मांगुपुरी पिता चन्दनपुरी गुसाई के बयान पी० डबल्यू-1 पेश किये। अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे साक्ष्य वादी बंद की गयी। प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की गयी तथा साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह पेश नहीं करने से साक्ष्य [illegible] बंद की गयी। वकील वादी व पैरोकार सरकार की [illegible] वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों [illegible] ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी वादी को [illegible]975 में आवंटित हुई और तभी से उक्त आराजी पर वादी का कब्जा है। साबिक आ०न० 83/8 रकबा 02-10 बीघा के वर्तमान आ०न० 267 रकबा 0.43 हैक्ट० है जबकि कुल रकबा 0.54 हैक्ट०

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए था। अतः वादी का हिस्सा 0.43 हैक्ट० के स्थान 0.54 हैक्ट० दर्ज किया जाना चाहिए। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि मौका रिपोर्ट अनुसार आ०न० 267 रकबा 0.43 हैक्ट० वादी के नाम खातेदारी से दर्ज रेकर्ड है। आ०न० 83/8 रकबा 02-10 बीघा 1975 में वादी को गैर खातेदारी से आवंटित हुई थी। वादी द्वारा किस खसरा नम्बर से रकबा चाहता है अंकित नहीं किया है और ना ही मौके पर वादी का कब्जा है। अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष बहस पर मनन किया। तनकी वार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है:-

<u>तनकी सं. 1</u>:- इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर वादी को साबित करायी जानी है। प्रस्तुत हाल खाते की जमाबंदी संवत 2060-63 के मुताबिक हाल आ०न० 267 मांगुपुरी पिता चन्दनपुरी गुसाई सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज अंकित है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-5 के अनुसार साबिक आ०न० 83/8 रकबा 02-10 बीघा के हाल आ०न० 267 रकबा 0.43 हैक्ट० बने है जो वादीगण के नाम दर्ज अंकित है जिसकी ताईद तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट से होती है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में आ०न० 267 रकबा 0.43 हैक्ट० होकर वादी के नाम दर्ज अंकित है इसके साथ ही आ०न० 541 रकबा 0.29 हैक्ट० भी गैर खातेदारी से दर्ज है। भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अतः प्रिमियम जमा होने पर ही खातेदारी दी जा सकती है। वादी ने 0.54 हैक्ट० भूमि होने की मांग की है परन्तु 0.72 हैक्ट० दर्ज रेकर्ड है तथा वादी किस खसरा से रकबा चाहता है यह वादपत्र में अंकित नहीं किया है जहाँ तक वादी के कब्जा होने तथा खातेदारी पाने का प्रश्न है प्रस्तुत रेवेन्यु रेकर्ड एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी का मौके पर कब्जा नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रिमियम जमा होने पर ही गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिया जा सकता है जो वादी द्वारा जमा नहीं करवाया गया है। अतः वादी इस तनकी को किसी भी तरह से साबित नहीं करा पाया है। यह तनकी वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी सं.-2</u>:- यह तनकी वादी के जिम्मे होकर वादी को साबित करायी जानी है। साबिक आ०न० 83/8 रकबा 02-10 बीघा के हाल आ०न० 267 रकबा 0.43 हैक्ट० बने है जो वा[illegible] गैर खातेदारी दर्ज रेकर्ड है। जहाँ तक वादी के नाम [illegible] रकबा 0.43 हैक्ट० के स्थान पर 0.54 हैक्ट० दर्ज कर[illegible] वादी ने वादपत्र में यह नहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि कमी रकबा 0.11 हैक्ट० की पूर्ति किस खसरे से की जानी है। वादी का वर्तमान में मौके पर कब्जा भी नहीं है जिसकी पुष्टि तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट से भी होती है। अतः यह

A— 4.6.21
सहायक कलेक्टर एवं
खण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तनकी भी वादी द्वारा साबित नहीं करा पाने से वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी सं.-3 :- चूंकि वादी तनकी संख्या- 1 व 2 को किसी भी तरह से सिद्ध नहीं करा पाया जिससे वादी के खिलाफ निर्णित हुई है। अतः वादी अपना वाद साबित करा पाने में असमर्थ रहा है जिससे वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः तनकी वार विवेचन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद साबित नहीं करा पाने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-04-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.4.21

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रपत्र –5

डिक्री बमुकद्दमे इस्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

(पीठासीन अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (R.A.S.)

उनवान

सांगुपुरी पिता नन्दपुरी गुसाई निवासी–चाकुडी, तह–भूपालसागर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नम्बर :– 30/2015

निर्णय दिनांक :– 20.04.2021

वादी की ओर से श्री सुरेशचन्द्र शर्मा की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.04.2021 को सुखाराम पिण्डेल (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद साबित नहीं कर पाने से खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

20.4.21

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:36 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	

Scanned with CamScanner

5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner